

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
एच169, चितवन एस्टेट, सैक्टर गामा,
ग्रेटर नौएडा सिटी ।

पत्रांक:—अ.मु.का.अ./सम्पत्ति/2015/17859
दिनांक 30/03/2015

कार्यालय आदेश

बी.एच.एस.13 सैक्टर ईटा-11 में 86.67 वर्गमी0 के फ्लैटो के आवंटियो की माँगो पर विचार करते हुए दिनांक 09.03.2015 की बैठक में समिति द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया ।

1. आवंटियो को डिफाल्टर नोटिस लम्बित रखे जायेंगे ।
2. जिन आवंटियो द्वारा योजना में आवेदन करते समय एकमुश्त भुगतान का विकल्प चुना था उन्हें कब्जा दिये जाने की निर्धारित तिथि से 10 प्रतिशत ब्याज आगणित किया जाएगा, जिसका समायोजन पट्टा प्रलेख निष्पादन किये जाने की तिथि पर अन्य देयो जैसे लीज रेंट इत्यादि में किया जायेगा ।
3. ऐसे आवंटी जिन्हे किश्तो पर फ्लैट आवंटित है जिन्हे निर्धारित समय अवधि पर कब्जा न दिये जाने पर हो रहे विलम्ब के कारण आवंटियो द्वारा पेमेन्ट डिफाल्ट करने पर आगामी किश्त दिनांक 28.03.2015 से कब्जा आफर किये जाने की सूचना/Checklist जारी किये जाने की तिथि के मध्य की अवधि में पेनल/डिफाल्ट इण्टरेस्ट नहीं लिया जायेगा ।

उपरोक्त आदेश मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है ।

(मानवेन्द्र सिंह)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:—

1. महाप्रबन्धक (वित्त) को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. विशेष कार्याधिकारी (सम्पत्ति) को सूचनार्थ ।
3. प्रभारी (सिस्टम) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को प्राधिकरण की वैबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें ।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी